प्रेस विज्ञप्ति

25.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स मस्ताना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 88.58 करोड़ रुपये मूल्य की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स मस्ताना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर शिकायत के आधार पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की, जिसमें लगभग 152.85 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

जांच में पता चला कि मेसर्स मस्ताना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अपने व्यापारिक कारोबार को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और काल्पनिक लेनदेन और शेल संस्थाओं के माध्यम से धन निकाल लिया। उक्त ऋण खाते को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एनपीए घोषित किया गया है। कंपनी ने संबंधित संस्थाओं अर्थात् मेसर्स एकेएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएएस राइस यूनिट और मेसर्स एल के इंटरनेशनल के साथ धोखाधड़ी वाले गोलाकार लेनदेन किए, जिसमें इन संस्थाओं ने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों के रूप में कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी वास्तविक व्यापार के बड़े पैमाने पर धन का आवागमन और विपथन हुआ।

इसके अलावा, मेसर्स मस्ताना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी खरीद और बिक्री चालान और मनगढ़ंत परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करके शेल फर्मों के नेटवर्क के माध्यम से धन भेजा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वैध व्यावसायिक गतिविधि की उपस्थिति बनाने के लिए कंपनी को कम समय में पैसा वापस कर दिया गया। देनदार के रूप में दिखाई देने वाली कई फर्मों को गैर-मौजूद या एक बिचौलिया सुरेश जैन और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित पाया गया, जिसमें कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं था।

कंपनी ने बाद में वसूली की कार्यवाही शुरू किए बिना ही संदिग्ध ऋणों के लिए असामान्य रूप से बड़ी राशि का प्रावधान किया, जिससे हेराफेरी किए गए धन को व्यावसायिक नुकसान के रूप में दर्शाया गया। समग्र योजना लेनदेन की जानबूझकर परतबंदी, कागजी निशान बनाने और धन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने और काल्पनिक वित्तीय विवरणों को पेश करने के लिए बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को दर्शाती है।

मूल अपराध में, माननीय न्यायालय ने मेसर्स एमएफपीएल और उसके निदेशकों कृष्ण मोहन और अनिल खुराना को भारतीय स्टेट बैंक को धोखा देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया।

आगे की जांच जारी है।